शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिये विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों (बी0टैक0 प्रथम वर्ष को छोड़कर) में प्रवेश हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून से सम्बद्व समस्त संस्थानों (राजकीय, संघटक एवं प्राईवेट) कालेजों में शैक्षिक सत्र 2021–22 के लिये विभिन्न पाठ्यक्रमों में (बी0टैक0 प्रथम वर्ष को छोड़कर)_प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने वाले समस्त अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे काउंसिलिंग में भाग लेने से पूर्व एवं अपने पाठ्यक्रम/कॉलेज का विकल्प (choice) भरने से पूर्व निम्नलिखित प्राविधानों एवं दिशा–निर्देशों को भलीभॉति पढ़ लेः–

1. कांउसिलिंग हेतु केवल 2000/– प्रतिछात्र (समस्त वर्ग) ऑनलाईन माध्यम से देय होगा।

2. ऑनलाईन कांउसिलिंग रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित शुल्क रू0 2000/– का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से देय होगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तिम दिवसों में अधिकतर अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन/भुगतान हेतु अन्तिम दिवस का इन्तजार न करें। यदि रजिस्ट्रेशन के अन्तिम दिवस में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या उत्पन्न होने से भुगतान/रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

3. प्रवेश प्रक्रिया (AICTE/PCI) के मानको के अनुसार संपादित की जायेगी। मानक निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं

Under Graduate Degree

Sl. No.	Programme	Duration	Eligibility
i	Bachlor of Pharmacy	4 years	Passed 10+2 examination with Physics, Chemistry and Mathematics/Biology with English as compulsory subject with minimum 50% marks)
ii	Hotel Management and Catering Technology	4 years	Passed 10+2 examination. Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.

iii	Engineering and Technology (Lateral Entry to Second year)	3 years	Passed Minimum THREE years / TWO years (Lateral Entry) Diploma examination with at least 45% marks (40% marks incase of candidates belonging to reserved category) in ANYbranch of Engineering and Technology. OR Passed B.Sc. Degree from a recognized University as defined by UGC, with at least 45% marks (40% marks in case of candidates belonging to reserved category) and passed 10+2examination with Mathematics as a subject. OR Passed D.Voc. Stream in the same or allied sector. (The Universities will offer suitable bridge courses such as Mathematics, Physics, Engineering drawing, etc., for the students coming from diverse backgrounds to achieve desired learning outcomes of the programme)
iv	Bachlor of Pharmacy (Lateral Entry to Second year)	3 year	Pass with **60% aggregate marks** in **Diploma (Pharmacy) (2 years after 10+2)** (Diploma should be recognized by PCI) or equivalent.

Post Graduate Programme

Sl. No.	Programme	Duration	Eligibility
i	Engineering and Technology	2 years	Passed Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
ii	Hotel Management and Catering Technology	2 years	Passed Bachelor Degree in Hotel Management and Catering Technology/ Hotel Management of minimum 4 years duration or equivalent Degree. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
iii	MCA	2 years	Passed BCA/ Bachelor Degree in Computer Science Engineering orequivalent Degree. OR Passed B.Sc./ B.Com./ B.A. with Mathematics at 10+2 Level or at Graduation Level (with additional bridge Courses as per the norms ofthe concerned University). Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.
iv	Management (MBA)	2 years	Passed Bachelor Degree of minimum 3 years duration. Obtained at least 50% marks (45% marks in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying examination.

v	M. Pharma	2 years	Passed Bachelor Degree in pharmacy of minimum 4 years duration orequivalent Degree. Obtained at least 50% marks in the qualifying examination.

उपरोक्त कोर्सेज में मैरिड की गणना निम्न तालिका के आधार पर की जायेगी।

Sl. No.	Course	गणना का तरीका
1.	B.Tech. Lateral Entery	जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा पूर्ण किया हुआ है उनका पूर्ण डिप्लोमा का प्रतिशत लिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों का डिप्लोमा पूर्ण नहीं है उनका प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत एवं द्वीतीय वर्ष के 50 प्रतिशत प्राप्ताकों के अनुसार मैरिट बनायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों का डिप्लोमा/बी0एस0सी0 उत्र्तीण नहीं उन्हें एक शपथ पत्र संस्थान में जमा करना अनिवार्य होगा, की यदि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व डिप्लोमा उत्र्तीण नहीं होता तो सम्बंधित छात्र/छात्रा का प्रवेश स्वतः निरस्त समझा जोयगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा। बी0टैक0 लेटरल इन्ट्री के प्रवेश में डिप्लोमा होल्डर्स को बी0एस0सी0 के सापेक्ष वरियता दी जायेगी।
2.	B. Pharma	मैरिट 10+2 की परीक्षा के प्राप्ताकों के आधार पर बनायी जायेगी।
3.	B. Pharma Lateral Entery	डी फार्मा में उत्र्तीण अभ्यर्थियों की मैरिट डिग्री में कुल प्राप्ताकों के प्रतिशत के आधार पर की जायेगी। डी फार्मा द्वी–वर्षीय डिप्लोमा अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के प्रथम वर्ष के 100 प्रतिशत।
4.	M.Tech./M. Pharma/MCA/MBA	M.Tech./M. Pharma/MCA/MBA प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर क्रमशः एम0टैक0 के लिए बी0टैक0, एम0फार्मा0 के लिए बी0फार्मा, एम0सी0ए0 के लिए बी0सी0ए0 एवं स्नातक डीग्री साईस, कोमर्स, आट्र्स इंजिनियरिंग में (गणित 10+2 में एक विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए), एम0बी0ए0 के लिए बी0बी0ए0 और तृी वर्षीय स्नातक डिग्री। उपरोक्त में क्वालिफाईंग ईक्जामनेशन पूर्ण न होने की दशा में

		मैरिट की गणना द्वी–वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष का 100 प्रतिशत, तृी वर्षीय कोर्स में प्रथम दो वर्ष का 50–50 प्रतिशत, चार वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष का 25 प्रतिशत, द्वीतीय वर्ष का 25 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष का 50 प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी।

4. M.Tech/M.Pharm/MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी में सर्वप्रथम GATE/GPAT/CAT/MAT तद्उपरान्त Qualifying Examination में अर्जित प्राप्तांको की मेरिट के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

5. बी0टैक लेटरल एंट्री एंव् बी0फार्मा लेटरल एंट्री में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है अथवा जिन्होने उत्तराखण्ड में स्थित किसी संस्थान से डिप्लोमा/बी0एस0ई0 (पी0सी0एम) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो को ही सीट आंवटित की जायेगी। लेटरल इन्ट्री की सीटें केवल उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए ही हैं (या तो उसके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो या क्वालिफाईग ईग्जामनेशन उत्तराखण्ड से उर्त्तीण हो)

6. तथा अन्य पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनको राज्य (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। परन्तु उन्हे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) जैसे– दिव्यांग (PH) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) महिला (W) आरक्षण देय नही होगा।

7. ऐसे सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं इनके अन्तर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी नहीं है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है और जिन्होंने उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से प्रवेश से सम्बन्धित परीक्षा उत्तीर्ण की है वे अभ्यर्थी ऑल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आयेगें या वो उत्तराखण्ड की सामान्य श्रेणी में सीट लें सकते है।

8. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अर्न्तगत अनुसूचित जाति (SC)] अनुसूचित जनजाति (ST), अन्यपिछ़डा वर्ग (OBC), दिव्यांग(PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित(FF), सैनिकों के आश्रितों (Ex-AF), महिला (W) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW), का लाभ लेने केलिये अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड का स्थायी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

9. ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी नही है अर्थात उनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी मूल निवास प्रमाण–पत्र नही है किन्तु उन्होने 10+2 की परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित किसी भी विद्यालय से उत्तीर्ण की हो, उनकों राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में सीट आवंटित की जायेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थियों को सामान्य (Gen) श्रेणी के अन्तर्गत महिला (W) आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) नही मिलेगा। यह आरक्षण केवल उत्तराखण्ड की स्थायी/मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए

अनुमन्य है। अतः ऐसी महिला अभ्यर्थी राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत सामान्य (Gen) श्रेणी में Open Seat (M) का चयन करें।

10. आल इण्डिया कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य आरक्षण निर्धारित है किन्तु सक्षम स्तर से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

11. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचति जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्यपिछडा वर्ग (OBC) दिव्यांग(PH) स्वंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF) सैनिकों के आश्रितों (AF) आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर से निर्गत सम्बन्धित प्रमाण पत्र और स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

12. उत्तराखण्ड कोटे के अन्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र विगत एक/तीन वर्ष के अन्दर (उत्तराखण्ड़ शासन के निर्देशानुसार) बना होना चाहिए। साथ ही आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना भी अनिवार्य है । साथ यह शपथ पत्र भी दिया जाना अनिवार्य होगा की वे क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते है। यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

13. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में शासनादेश संख्याः 348/XXXIV(8)/10-26/10 दिनांक 19.01.2011 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्याः 647/XLI-1/12-26/10] दिनांक 20.06.2012 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी पात्र होगें जिनके पास उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो और जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक आय 4.50 लाख से कम हो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों से किसी भी कॉलेज (निजी एवं सरकारी) द्वारा प्रत्येक वर्ष लिये जाने वाला शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) नही लिया जायेगा।

14. राज्य (उत्तराखण्ड) कोटे के अन्तर्गत आर्थिक रूप से निर्बल (TFW) श्रेणी में केवल प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों में से लाभ प्रदान किया जायेगा।

15. शासनादेश संख्या 1003/XLI-1/19-42/19 दिनांक 12.07.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग Economic Weaker Seaction के अभ्यर्थियों के लिये पाठ्यक्रमों में सत्र 2019–20 से 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यथियों द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग के समय EWS श्रेणी में चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। EWS आरक्षण हेतु सक्षम स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ही स्वीकार किये जायेगें।

16. कोउंसिलिंग में विभिन्न आरक्षण श्रेणीयॉ निम्न प्रकार से दर्शायी गयी हैं–

    वर्टिकल आरक्षण–Gen- जनरल वर्ग, SC- अनुसूचित जाति वर्ग, ST- अनुसूचित जनजाति वर्ग, OBC- अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।

    उपरोक्त में क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियॉ निम्न हैं–

M- मेन (Main) वर्ग (जिसमें किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी प्रवेश ले सकता है), AF- सशस्त्र बल (Armed Force) वर्ग (AF- की सीट एक्स सर्विसमैन हेतु है जिसके पास सैनिक पुर्नवास कल्याण बोर्ड द्वारा निर्गत एवं एस0डी0एम0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र हो) PH- द्विव्यांग (40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक विकलांगता), FF- फ्रीडम फाईटर (स्वतंत्रता सैनानी), W- महिला वर्ग

17. लेटरल इन्ट्री की सीटों को छोड़कर शेष सभी कोर्सेज में 15 प्रतिशत सीटें आल इण्डिया अभ्यार्थियों के लिए एवं 85 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों से भरी जायेगीं। आल इण्डिया में वर्टिकल आरक्षण जनरल, एससी और एसटी के लिए क्रमशः 77.50, 15, 7.50 एवं क्षैतिज आरक्षण मेन और पीएच में कमशः 97 और 3 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों में वर्टिकल आरक्षण जनरल ईडब्लएस, एससी, एसटी, ओबीसी में क्रमशः 53, 10, 19, 4, 14 प्रतिशत है एवं क्षैतिज आरक्षण मेन पीएच, एएफ, एफएफ, वामेन मे क्रमशः 60, 3, 5, 2, 30 प्रतिशत है।

18. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चोइसिस भरने से पहले संस्थान का प्रकार (राजकीय, संघटक एवं प्राईवेट) भली भॉति देख लें। इसकी लिस्ट काउंसिलिंग वेबसाइड पर दर्शाई गयी है। चोइस भरने से पहले सीट मैंट्रिक को भी भली भॉति देख लें कि उनकी चोइस के अनुरूप सीट उपलब्ध है या नहीं।

19. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपनी चाइसेस भरें जिससे उनको काई ना कोई सीट अवश्य आवंटित हो जाये।

20. इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के हैल्पलाइन नं0, 8865004876, 8630332869 पर 13 सितम्बर 2021 से प्रातः 10.00 बजे सायॅ 5.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। या ई–मेल utu.counseling2021@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।

*****